



प्रीलमिस फैक्टरीज़: 11 जून, 2020

- कसिन उत्पादक संगठन
- सचिवों का अधिकार प्राप्त समूह और परियोजना विकास प्रकोष्ठ
- वशिष्व प्रत्यायन दिवस 2020
- तुरंत कस्टमस्

कसिन उत्पादक संगठन

Farmer Producer Organisation

भारत सरकार अगले तीन वर्षों में 3,500 कसिन उत्पादक संगठनों (Farmer Producer Organisation- FPO) का निर्माण करेगी, जिससे कसिनों को उनकी उपज का उचित पारशिरमकि मूल्य मिल सके।

प्रमुख बांदिः

- आगामी तीन वर्षों में जो FPOs बनाए जायेंगे उनमें से अधिकांश FPO भारत सरकार के 'एक उत्पाद-एक-ज़िला' पहल पर आधारित होंगे जहाँ FPO मुख्य रूप से कम मात्रा वाली अन्य उपजों के अलावा विशेष कमोडिटी को बढ़ावा देगा एवं इनका वयापार करेगा।
- इस वर्ष वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में आगामी पाँच वर्ष में 10,000 FPOs बनाने में मदद करने की घोषणा की थी।
- वर्तमान में देश में लगभग 5,000 FPOs कार्य कर रहे हैं जिनमें से 910 'लघु कृषक कृषि-वयापार संघ' (Small Farmers' Agri-Business Consortium- SFAC) से संबद्ध हैं जबकि लगभग 3000 [राष्ट्रीय कृषि-वयापार संघ \(नाबारड\)](#) के अंतर्गत आते हैं। शेष FPOs निजी कंपनियों द्वारा बनाए एवं चलाए जा रहे हैं।

कसिन उत्पादक संगठन (Farmer Producer Organisation- FPO):

- 'कसिन उत्पादक संगठनों' का अभिप्राय कसिनों, विशेष रूप से छोटे और सीमांत कसिनों के समूह से होता है।
- इस प्रकार के संगठनों का प्रमुख उद्देश्य कृषि से संबंधित चुनौतियों का प्रभावी समाधान करना होता है।
- FPOs प्राथमिक उत्पादकों जैसे- कसिनों, दूध उत्पादकों, मछुआरों, बुनकरों और कारीगरों आदि द्वारा गठित क्रान्ती इकाई होती हैं।
- FPOs को भारत सरकार तथा नाबारड जैसे संस्थानों से भी सहायता प्राप्त होती है।

सचिवों का अधिकार प्राप्त समूह और परियोजना विकास प्रकोष्ठ

Empowered Group of Secretaries and Project Development Cell

हाल ही में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रमिडल ने 'भारत में नविश आकर्षिति करने के लिये मंत्रालयों/विभागों में सचिवों के अधिकार प्राप्त समूह (Empowered Group of Secretaries-EGoS) और परियोजना विकास प्रकोष्ठ (Project Development Cell- PDC)' की स्थापना को स्वीकृति दी।

प्रमुख बांदिः

- इस नई व्यवस्था से भारत को वर्ष 2024-25 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के वज़िन को बल मिलेगा।

सचिवों के अधिकार प्राप्त समूह

(Empowered Group of Secretaries-EGoS):

- भारत में नविश के लिये नविशकों को सहायता एवं सुविधाएँ उपलब्ध कराने तथा अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों में विकास को प्रोत्साहन देने के क्रम में नमिनलिखिति संयोजन और उद्देश्यों के साथ सचिवों के अधिकार प्राप्त समूह (EGoS) की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है।
 - कैबिनेट सचिव (अध्यक्ष)
 - सीईओ, नीति आयोग (सदस्य)
 - सचिव, उदयोग संवरद्धन और आंतरकि व्यापार वभिग (सदस्य संयोजक)
 - सचिव, वाणिज्य वभिग (सदस्य)
 - सचिव, राजस्व वभिग (सदस्य)
 - सचिव, आर्थिक मामलों के वभिग (सदस्य)
 - संबंधित वभिग के सचिव (विकल्प के रूप में)

EGoS के उद्देश्य:

- वभिन्न वभिगों और मंत्रालयों के बीच तालमेल कायम करना तथा समयबद्ध स्वीकृतियाँ सुनिश्चित करना।
- भारत में अधिक नविश आकर्षित करना और वैश्वकि नविशकों को नविश समर्थन तथा सुविधाएँ उपलब्ध कराना।
- लक्षित तरीके से शीर्ष नविशकों से आने वाले नविश को आसान बनाना और समग्र नविश प्रविश्य में नीतिगत स्थायतिव तथा सामंजस्य कायम करना।
- वभिगों द्वारा परयोजना निर्माण तथा उस पर होने वाले वास्तवकि नविश के आधार पर नविशों का मूल्यांकन करना।

परयोजना विकास प्रकोष्ठ (Project Development Cell- PDC):

- केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच समन्वय में नविश योग्य परयोजनाओं के विकास के लिये एक 'परयोजना विकास प्रकोष्ठ' (PDC) की स्थापना की भी स्वीकृतिदी गई।
- इससे भारत में नविश योग्य परयोजनाओं की संख्या में बढ़ोत्तरी होगी और FDI प्रवाह भी बढ़ेगा।
- सचिव के दशा-निर्देशन में संबंधित केंद्रीय मंत्रालय के एक अधिकारी को नविश योग्य परयोजनाओं के संबंध में अवधारणा तैयार करने, रणनीतिबनाने, कार्यान्वयन और विवरण के प्रसार का काम सौंपा जाएगा।

उद्देश्य:

- सभी स्वीकृतियों, आवंटन के लिये जमीन की उपलब्धता और नविशकों द्वारा स्वीकार्यता/नविश के लिये पूर्ण वसितृत परयोजना रपोर्ट के साथ परयोजनाएँ तैयार करना।
- नविश आकर्षित करने और उसे अंतमि रूप देने के क्रम में ऐसे मुद्दों की पहचान करना जिनका समाधान करने की ज़रूरत है तथा उन्हें अधिकार प्राप्त समूह के सामने रखा जाना चाहिये।

भारत सरकार के इस निर्णय से भारत अधिक नविश अनुकूल स्थल के रूप में सामने आएगा और देश में नविश प्रवाह को समर्थन तथा आसान बनाकर 'आत्मनिर्भर भारत मशिन' को प्रोत्साहन दिया जा सकेगा।

विश्व प्रत्यायन दिवस 2020

World Accreditation Day 2020

विश्व प्रत्यायन दिवस (World Accreditation Day- WAD) प्रत्येक वर्ष 9 जून को व्यापार एवं अर्थव्यवस्था में प्रत्यायन की भूमिका को रेखांकति करने एवं बढ़ावा देने के लिये मनाया जाता है।



Accreditation: Improving food safety

World Accreditation Day
9 June 2020
(#WAD2020)



II

थीम:

- विश्व प्रत्यायन दिवस 2020 की थीम 'प्रत्यायन: खाद्य सुरक्षा में सुधार लाना' (Accreditation: Improving Food Safety) है। जसे अंतर्राष्ट्रीय प्रत्यायन फोरम (International Accreditation Forum- IAF) एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रयोगशाला प्रत्यायन सहयोग (International Laboratory Accreditation Cooperation- ILAC) द्वारा निर्धारित किया गया है।

प्रमुख बांदिः

- भारतीय गुणवत्ता परिषिद (Quality Council of India- QCI) के दो प्रत्यायन बोर्डों 'राष्ट्रीय प्रमाणन निकाय प्रत्यायन बोर्ड' (National Accreditation Board for Certification Bodies- NABC) तथा 'राष्ट्रीय परीक्षण एवं अशांकन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड' (National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories- NABL) ने इस अवसर पर एक वेबीनार का आयोजन किया जिसमें सभी संबंधित हातिधारकों ने भाग लिया।

भारतीय गुणवत्ता परिषिद (Quality Council of India- QCI):

- भारत सरकार ने भारतीय गुणवत्ता परिषिद की स्थापना वर्ष 1997 में उद्योग संवरद्धन एवं आंतरिक व्यापार वभिग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन एक स्वायत्त निकाय के तौर पर की थी।
- इस संगठन की स्थापना अनुरूप प्रत्यायन निकायों के लिये राष्ट्रीय प्रत्यायन ढाँचे की स्थापना करने एवं उनके प्रचालन करने के अलावा शक्षिका, स्वास्थ्य तथा गुणवत्ता संवरद्धन के क्षेत्र में प्रत्यायन उपलब्ध कराने के लिये की गई थी।
- प्रत्यायन ढाँचे के तौर पर भूमिका अदा करने के अलावा यह 'राष्ट्रीय प्रमाणन निकाय प्रत्यायन बोर्ड' (National Accreditation Board for Certification Bodies- NABC) के द्वारा उपलब्ध कराई गई प्रत्यायन सेवाओं के जरिये गुणवत्ता प्रबंधन प्रणालियों (ISO 14001 शृंखला), खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (ISO 22000 शृंखला) तथा उत्पाद प्रमाणन एवं नरीकृष्ण निकायों के संबंध में गुणवत्ता मानकों को अपनाने के लिये भी प्रोत्साहित करता है।
- QCI में भारतीय उद्योग का प्रतनिधित्व तीन प्रमुख उद्योग संघों एसोसिएम, सीआईआई तथा फकिर्की के द्वारा किया जाता है।

'राष्ट्रीय परीक्षण एवं अशांकन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड'

(National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories- NABL):

- NABL अनुरूप प्रत्यायन निकायों (प्रयोगशालाओं) को मान्यता प्रदान करता है।
- NABL भारत की गुणवत्ता परिषिद का एक घटक बोर्ड है।
- इसका गठन वर्ष 1988 में किया गया था।

अंतर्राष्ट्रीय प्रत्यायन फोरम

(International Accreditation Forum- IAF):

- अंतर्राष्ट्रीय प्रत्यायन फोरम उन संगठनों का एक अंतर्राष्ट्रीय संघ है जो सामान्य व्यापार सुविधा उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिये दुनिया भर में एक साथ काम करने के लिये सहमत हुए हैं।
- IAF, अनुरूप प्रत्यायन प्रचलन हेतु सदिधांतों एवं प्रथाओं को विकसित करने के लिये विश्व में एक प्रमुख मंच है जो बाज़ार स्वीकृति के लिये

- आत्मविश्वास प्रदान करता है।
- यह उन मान्यता प्राप्त नकियों के माध्यम से कार्य करता है जो प्रबंधन प्रणालियों, उत्पादों, करमयों या नरीकृष्ण को प्रमाणित या पंजीकृत करते हैं।

अंतर्राष्ट्रीय प्रयोगशाला प्रत्यायन सहयोग

(International Laboratory Accreditation Cooperation- ILAC):

- ILAC की शुरुआत पहली बार एक सम्मेलन के रूप में हुई थी। यह सम्मेलन 24-28 अक्टूबर, 1977 को कोपेनहेगन, डेनमारक में आयोजित किया गया था जिसका उद्देश्य मान्यता प्राप्त परीक्षण एवं अंशांकन प्रणालियों की स्वीकृति के संवर्द्धन द्वारा व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिये अंतर्राष्ट्रीय सहयोग विकसित करना था।
- वर्ष 1996 में ILAC 'प्रत्यायन नकियों के बीच आपसी समझौतों के नेटवर्क को स्थापित करने वाले एक चार्टर' के तहत एक औपचारिक सहयोग संगठन बन गया।
- वर्ष 2000 में विश्व के 28 देशों के प्रयोगशाला प्रत्यायन नकियों से संबंधित ILAC के 36 पूर्णकालिक सदस्यों ने मिलिकर नियमित माल के लिये तकनीकी परीक्षण एवं अंशांकन डेटा की स्वीकृतिको बढ़ावा देने के उद्देश्य से अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में ILAC मध्यूचुअल रकिंग्नशिन अर्जेंमेंट' (ILAC MRA) पर हस्ताक्षर किया।
- अंशांकन एवं परीक्षण प्रयोगशालाओं के लिये ILAC MRA 31 जनवरी, 2001 को प्रभावी हुआ।

तुरंत कस्टम्स

Turant Customs

हाल ही में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (Central Board of Indirect Taxes and Customs- CBIC) ने बंगलुरु व चेन्नई में अपना फ्लैगशपि कार्यक्रम 'तुरंत कस्टम्स' (Turant Customs) लॉन्च किया।

प्रमुख बांडिः

- CBIC ने बताया है कि यह आयातिवस्तुओं के कम समय में सीमा शुल्क नकिसी के लिये प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने से संबंधित कार्यक्रम है।
- इस कार्यक्रम के तहत आयातकों द्वारा आयात किये गए सामान का क्लीयरेंस फेसलेस, कांटेक्टलेस एवं पेपरलेस होगा।
 - अरथात् 'तुरंत कस्टम्स' के जरूरि आयातिवस्तुओं का क्लीयरेंस बंगलुरु में आया है तो उसका क्लीयरेंस बंगलुरु में बैठा हुआ ऑफसिर दे सकता है और इसी तरह अगर बैंगलुरु में कोई सामान आया है तो उसका क्लीयरेंस चेन्नई में बैठा हुआ ऑफसिर भी दे सकता है।
- तुरंत कस्टम्स 'ईज़ ऑफ ड्रूइंग बजिनेस' के लिये एक प्रमुख सुधार पहल है।
- दसिंबर, 2020 तक इसे देश के सभी बंदरगाहों, हवाई अड्डों, आतंरकि कंटेनर डिपो में शुरू कर दिया जाएगा।
 - पहले चरण में इसके अंतर्गत देश के प्रमुख बंदरगाहों एवं हवाई अड्डों पर मैकेनिकिल, इलेक्ट्रॉनिक्स मशीनरी के आयात को कवर किया जाएगा।

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड

(Central Board of Indirect Taxes and Customs- CBIC):

- केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड, केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अंतर्गत राजस्व विभाग का एक सहायक बोर्ड है।
- यह लेवी एवं सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, केंद्रीय माल एवं सेवा कर और IGST के संग्रह के लिये नीतिनिरिमाण से संबंधित है और यह तस्करी की रोकथाम के लिये भी काम करता है।
- यह बोर्ड अपने अधीनस्थ संगठनों के लिये एक प्रशासनिक प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है जिसमें कस्टम्स हाउस, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं केंद्रीय जीएसटी आयुक्त (Central Excise and Central GST Commissioners) और केंद्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला (Central Revenues Control Laboratory) शामिल हैं।